न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 158/2018

श्रीकिशन पुत्र रामसहाय जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भंडाना तह0 दौसा —मृतक
1/1 सरजो देवी बेवा स्व. श्रीकिशन
1/2 राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्रीकिशन
1/3 नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्रीकिशन
जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भंडाना तह0 दौसा जिला दौसा
1/4 अनीता देवी पुत्री श्रीकिशन पत्नि महेश कुमार शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम जौंण तहसील दौसा
1/5 सुनीता पुत्री श्रीकिशन पत्नि विक्रम कुमार शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी प्लॉट नंबर 53, भैरू मीना का बाग, आमेर रोड, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर
1/6 मदनलाल पुत्र स्व. श्रीकिशन

...अपीलांटस

बनाम

1. रामोतार पुत्र रामसहाय
2. दीनदयाल पुत्र हरिप्रसाद
3. शिवगोपाल पुत्र हरिप्रसाद
4. मनभरी पत्नि हरिप्रसाद
5. भगवानसहाय पुत्र रामसहाय
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

..रेस्पों0

अपील अंतर्गत धारा 225 रा0काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध तकास्मा तहसीलदार दौसा दिनांक 29.6.2018 क्रमांकःरा.लो.अ.18—486

उपस्थितिः— 1. श्री नरेन्द्र कुमार तिवाडी, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री वरूण नागर, अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 से 5 की ओर से।
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 10.03.2025

1. संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा द्वारा पारित तकास्मा आदेश दिनांक 29.6.2018 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलांट्स व रेस्पों0 एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा ग्राम जीरोता में आराजी खसरा नंबर 25, 26, 28, 29, 39, 31 से 33, 46 कुल रकबा 7.35है. भूमि स्थित है तथा उक्त भूमि में अपीलांट्स का हिस्सा 1/5 व रामोतार पुत्र [illegible] का हिस्सा 1/5, भगवानसहाय का हिस्सा 1/5, दीनदयाल पुत्र ह[illegible] [illegible] व मनभरी का हिस्सा 1/5 व मदनलाल पुत्र श्री किशन का हिस्सा 1/5 है। [illegible] सं0 1 से 5 जो कि चतुर व चालाक आदमी है। अपीलांट के पति/पिता जो कि एक [illegible] अनपढ व्यक्ति थे, [illegible] की अशिक्षितता का नाजायज फायदा उठाकर रेस्पों. सं0 1 से 5 ने अपीलांट के पति/पिता के अंगूठा लगाकर एक सहमति से तकास्मा करने हेतु राजस्व कैंप में प्रार्थना पत्र पेश कर रेस्पों. सं0 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:07:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

से 5 ने अवैध तरीके से तकास्मा इस प्रकार करा लियाः—खसरा नंबर 25 व 28 अपीलांट को, खसरा नंबर 46 रामोतार को, खसरा नंबर 30 व 31 दीदयाल, शिवगोपाल को , खसरा नंबर 26 भगवानसहाय पुत्र रामगोपाल को, खसरा नंबर 32, 33 मदनलाल पुत्र श्रीकिशन को तकास्मा में दे दी तथा इससे स्पष्ट है कि तकास्मा हिस्से अनुसार नहीं बिकया बल्कि किसी को ज्यादा व किसी को कम भूमि दे दी गई। अपीलांट को खसरा नंबर 25 व 28 की भूमि दी गई है जो पीछे की तरफ है। अतः रेस्पों. नं आगे की जमीन का तकास्मा करा लिया जबकि कानूनन तकास्मा हिस्से अनुसार किया जाना चाहिए था परन्तु रेस्पों. सं0 1 से 5 ने मिलीभगत करके पटवारी हल्का व तहसीलदार से साज करके दिनांक 29.6.2018 को तकास्मा एकतरफा में करा लिया जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं हुई। तहसीलदार ने अपीलांट से मकास्मा करने बाबत कोई पूछताछ नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश खिलाफ कानून, नियम, उपनियम व पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। तहसीलदार द्वारा हिस्से के अनुसार तकास्मा नहीं किया बल्कि किसी को ज्यादा व किसी को कम भूमि तकास्मा में दी है। जबकि कानूनन हिस्से अनुसार ही भूमि का तकास्मा किया जाना चाहिए था। रेस्पों. ने तहसीलदार व पटवारी से साज करकगे गलत तकास्मा करवाया है जो निरस्त योग्य है। अपीलांट व रेस्पों. के मध्य यह सहमति हुई थी कि अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि तकास्मा में आयेगी परन्तु रेस्पों. ने मिलीभगत करके फ्रन्ट की जमीन तो अपने नाम तकास्मा करा ली व पीछे की भूमि अपीलांट को दे दी, इस प्रकार तकास्मा विधिवत रूप से नहीं हुआ जो कि निरस्त योग्य है। तहसीलदार दौसा द्वारा तकास्मा किये जाने से पूर्व अपीलांट से कोई पूछताछ नहीं की गई ना ही तकास्मा अपीलांट की मौजूदगी में किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश व निर्णय दिनांक 29.6.2018 को निरस्त फरमाया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय को इस आदेश के साथ रिमांड किया जावे कि वे अपीलांट को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर विधिवत रूप से तकास्मा किया जावे। अधिवक्ता अपीलांटस ने दौराने बहस अपीलांट्स व रेस्पों0 सं0 1 से 5 के मध्य राजीनामा होने बाबत राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामे के अनुसार अधीनस्थ तहसीलदार दौसा ने जो खाता सं. 260 वाके ग्राम जीरोता खुर्द का विभाजन दिनांक 29.6.2018 का किया है उसमें निम्न प्रकार संशोधन कराना चाहते है जो इस प्रकार है किः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो कृषि भूमि खसरा नंबर 31 रकबा 0.93है. को दीनदयाल, शिवगोपाल पि. हरिप्रसाद, मनभरी पत्नि हरिप्रसाद के नाम अंकित किया है उसमें से अर्थात खसरा नंबर 31 में से खसरा नंबर 33 के लगती हुई, पश्चिम की ओर, उत्तर दक्षिण आर पार 0.75है. भूमि अपीलांट के नाम अंकित कर दी जावे व शेष विभाजन को यथावत रख दिया जावे इसमें दोंनों पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं है व दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से उक्त राजीनामा व विभाजन को स्वीकार किया है अर्थात अब उपर दर्शाये अनुसार खसरा नंबर 33 से लगती हुई खसरा नंबर 31 की 0.75है. उत्तर दक्षिण आर पार रेस्पों. दीनदयाल, शिवगोपाल व मनभरी के खाते से कम कर अपीलांट के नाम अंकित की जाकर नक्शे में इसी प्रकार रंग भर कर अलग—अलग खाते समस्त भूमि के कर दिये जावें।

4. अधिवक्ता रेस्पों. सं0 1 से 5 एवं राजकीय अधिवक्ता ने दोनों पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामे के अनुसार भूमि अंकित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।
5. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पक्षकरान द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा का अवलोकन किया।
6. पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि तहसीलदार दौसा ने अपीलांट्स व रेस्पों. के मध्य आपसी सहमति से ग्राम जीरोता खुर्द स्थित आराजी का विभाजन स्वीकार किया गया था जिसमें खसरा नंबर 25 व 28 अपीलांट को, खसरा नंबर 46 रामोतार को, खसरा नंबर 30 व 31 दीदयाल, शिवगोपाल को , खसरा नंबर 26 भगवानसहाय पुत्र रामगोपाल को, खसरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:07:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

32, 33 मदनलाल पुत्र श्रीकिशन को दिश गया था। चूंकि अब दोनों पक्षकारान के मध्य राजीनामा अनुसार कृषि भूमि खसरा नंबर 31 रकबा 0.93है. को दीनदयाल, शिवगोपाल पि. हरिप्रसाद, मनभरी पत्नि हरिप्रसाद के नाम अंकित किया है उसमें से अर्थात खसरा नंबर 31 में से खसरा नंबर 33 के लगती हुई, पश्चिम की ओर, उत्तर दक्षिण आर पार 0.75है. भूमि अपीलांट के नाम अंकित कर दी जावे व शेष विभाजन को यथावत रखे जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। हम अपील अपीलांट राजीनामा अनुसार आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.6.2018 को खसरा नंबर 31 की हद तक निरस्त किया जाता है। शेष तकास्मा आदेश यथावत बहाल रखा जाता है। तहसीलदार दौसा को प्रकरण इस आशय से रिमांड किया जाता है कि पक्षकारान द्वारा उठाई गई आपत्तियों को मध्यनजर रखते हुए पुनः खसरा नंबर 31 वाके ग्राम जीरोता खुर्द का राजीनामा अनुसार तकास्मा किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख एवं राजीनामा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार दौसा को प्रेषित की जावे। पक्षकारान दिनांक 24.3.2025 को तहसीलदार दौसा के समक्ष वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 10 मार्च, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:07:38 IST
Reason: SelfAttested